निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–64/19
दायरा दिनांक :– 28.06.2019
निर्णय दिनांक :– 16.8.22

उनवन

1.गिरराज आयु 35 वर्ष पुत्र श्री जगन्नाथ
2.जगन्नाथ आयु 85 वर्ष पुत्र श्री पन्नालाल
3.जोधराज आयु 50 वर्ष पुत्र श्री जगन्नाथ
4.नीरीबाई आयु 30 वर्ष पुत्री श्री जगन्नाथ
5.मोरबाई आयु 28 वर्ष पुत्री श्री जगन्नाथ
6.राजन्तीबाई आयु 40 वर्ष पुत्री श्री जगन्नाथ
7.सुशीलाबाई आयु 28 वर्ष पुत्री श्री जगन्नाथ
जातिगण मोग्या निवासीगण गजनपुरा बम्बूलिया तहसील बारा जिला बारा, राज0

बनाम

1. कजोड आयु 45 वर्ष पुत्र श्री मोहनलाल
2. राचरण आयु 40 वर्ष पुत्र श्री मोहनलाल
3. कालू आयु 26 वर्ष पुत्र श्री मोहनलाल
4. नरेश उम्र 22 वर्ष पुत्र श्री मोहनलाल
5. ओम प्रकाश उम्र 20 वर्ष श्री मोहनलाल
6. मेथुन उम्र 30 वर्ष पुत्र कजोड
7. पप्पू उम्र 25 वर्ष पुत्र कजोड
8. बनवारी उम्र 32 वर्ष पुत्र कजोड
9. मनोज उम्र 32 वर्ष पुत्र कजोड

जातिगण मोग्या निवासीगण रारोती तहसील बारा जिला बारा राज0

दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांकः– 16.8.22

अभिभाषक उपस्थित :– 1.श्री बाबूलाल जैन एड0
2.श्री अनिल श्रीवास्तव एड0 अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:43:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया किवाके ग्राम रारोती तहसील बारा में खाता सं0 नया 131 पुराना 126 खसरा नं0 662 रकबा 1.15 हैक्टर लगानी 8.05 रू0 भूमि स्थित है, जो राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम खातेदार कृषक दर्ज है। जिस पर वादीगण सदैव से काश्त करते आ रहे है। जिसे आगे वाद पत्र आराती के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया तथा फसल बोदी। प्रतिवादीगण ग्राम रारोती के निवासी है एक ही परिवार के सदस्य है तथा झगडालू किस्म के व्यक्ति है, जो एक जुट होकर व्यक्तियो की भूमियो पर जबरन कब्जा कर लेते है। वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण, वादीगण को जान से मारने पर आमादा हो गये तथा कहा कि अब हम इन भूमियो को कभी नही छोडेगे तथा ताकत के बल पर जबरन काश्त करेगे, तुम और सरकार हमारा कुछ नही कर सकते। जबकि वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार कृषक है, उनको वादग्रस्त भूमि को काश्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। दिनांक 10.06.2019 को वादीगण टेक्टर लेकर वादग्रस्त भूमि पर काश्त करने गये लेकिन प्रतिवादीगण ने वादीगण को वादग्रस्त भूमि काश्त नही करने दी तथा कहा कि तुम तुम्हारे टेक्टर वापस ले जाओ अन्यथा टेक्टर में पेट्रोल छिडक कर आग लगा देगें। बामुश्किल वादीगण वहां से वापस आये। अतएव वादीगण वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत न स्वय करें न अपने प्रतिनिधियो से करावे तथा वादीगण को वादग्रस्त भूमि शांतिपूर्ण ढंग से काश्त करने देवे। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा किया है तथा कब्जा नहीं छोड रहे हैं। इस कारण वर्ष 2018 से ता बेदखली तक विवादित भूमि का लगान 8.05 रू0 का 50 गुना मुआवाजा भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। वाद कारण दिनांक 10.06.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा नही छोडने की धमकी देने के फलस्वरूप ग्राम रारोती तहसील बारा में उत्पन्न हुआ। वाद का मूल्याकंन विवादित आराजी के लगान का 50 गुना कायम किया जाकर उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। ग्राम रारोती तहसील बारा की खसरा नं0 662 रकबा 1.15 हैक्टर भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम रारोती तहसील बारा की आराजी खसरा नं0 662 रकबा 1.15 हैक्टर पर वादीगण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत न स्वयं करे, न अपने प्रतिनिधियो से करावे तथा वादीगण को शांतिपूवक काश्त करता रहने देवे। वादीगण द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:43:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

एक तरफा कार्यवाही की गई वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम रारोती सम्वत 2073–76 खाता सं. 131 पेश की गई साक्ष्य वादी में गिरराज, द्वारकीलाल का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रारोती तहसील बारां में स्थित है जिस पर वादीगण सदैव काश्त करते चले आ रहे है विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर लिया है तथा फसल बो दी है प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादीगण लडाकू झगडालू किस्म के व्यक्ति है एकजुट होकर व्यक्तियों की भूमि पर कब्जा कर लेते है प्रतिवादी से भूमि पर कब्जा करने के लिए मना किया तो मारने पर आमादा हुए। प्रतिवादी की वादीगण की भूमि से बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी गण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम रारोती बारां 2073–76 खाता सं. 131 के अनुसार खसरा नं. 662 रकबा 1.15 है0 भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे विवादित भूमि प्रतिवादीगण की होना साबित हो सके। प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने का व फसल काश्त करने का कोई अधिकार नहीं है प्रतिवादी को वादीगण वादीगण की भूमि से बेदखल किया जाता जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जाना एवं स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम रारोती तहसील बारा के खसरा नं. 662 रकबा 1. 15 है0 से प्रतिवादीगण्सा को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की प्रकार की दखल आराजी न हो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:43:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

... उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

64/19	धारा अंतर्गत 183,188 RTA	निर्णय दिनांक 16.8.22

...: श्री दिव्यांशु शर्मा आर. ए. एस उपखण्ड अधिकारी बारां

उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री बाबूलाल जैन | अभिभाषक प्रतिवादी श्री अनिल श्रीवास्तव

वाद शीर्षक

1. गिर्राज 2. जगन्नाथ 3. ओमराज 4. नीरीबाई 5. गोराबाई
6. राजन्तीबाई 7. सुशीलाबाई आ. जगन्नाथ जातिमाली मौजा निवासी
गजनपुरा नाहरगढ़िया तह. बारां जिला बारां

बनाम

1. कजोड़ 2. रामचरण 3. कालू पुत्रान मोहनलाल
4. नरेश 5. ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति मीणा
6. मेघराज 7. पप्पू 8. बनवारी 9. मनोज पुत्र कजोड़ जातिमाली
मौजा निवासीगण रारोली तह. बारां जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके मौजा रारोली तह. बारां के ख.नं. 662 रकबा 1.15 हे. से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 16.8.22 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:43:04 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		

Scanned with CamScanner